RAJYA SABHA

Friday, the 12th *May,* 2000/22 *Vaisakha,* 1922 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, **Mr Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

महिला आंगनवाड़ियों की स्थिति

*661. **श्री स्वराज कौशल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत महिला आंगनवाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) महिला आंगनवाड़ियों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उनके वेतन तथा भत्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को महिला आंगनवाड़ियों की स्थिति के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और महासागर विकास मंत्री (डॉ मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय देश में कुल 513072 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं।

(ख) प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र का प्रबन्धन आँगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता के लिए एक आँगनवाड़ी सहायिका होती है। ये कार्यकत्रीगण अंशकालिक एवं अवैतनिक होती हैं, जिन्हें कार्य की अवधि और अर्हताओं के आधार पर मासिक मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकत्री को 438 रुपये से लेकर 563 रुपये के बीच और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 260 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। इसका ब्यौरा तालिका-I में दिया गया है। (नीचे देखिये) कुछ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय प्रदान कर रहे हैं। इसका ब्यौरा तालिका-II में दिया गया है। (नीचे देखिये) आँगनवाड़ियों में कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं।

(ग) और (घ) सरकार को विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों, आँगनवाड़ी कार्यकत्री एसोसिएशनों तथा यूनियनों आदि से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। ये अभ्यावेदन मुख्य रूप से उन्हें दिये जा रहे मानदेय की राशि में वृद्धि करने, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने, आँगनवाड़ी कार्यकत्री को पर्यवेक्षक के रूप में भर्ती करने, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त परिश्रमिक देने, इस स्कीम को निजी अभिकरणों अथवा पंचायतों को हस्तान्तरित न किये जाने के बारे में होते हैं।

(ङ) सरकार आँगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के कार्य की परिस्थितियों में सुधार कर. के लिए लगातार प्रयास करती रही है। आँगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका को देय मानदेय में भी समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। मानदेय में 1978, 1986 और 1992 में बढ़ोतरी की गई। मई, 1997 में आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के मानदेय में क्रमश: 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की और वृद्धि की गई तथा आँगनवाड़ी कार्यकत्री को उसके कार्य की अवधि और अर्हताओं के आधार पर प्रतिमाह 438/- रुपये से 563/- रुपये के बीच और आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 260/- रुपये मानदेय दिया जाता है। मानदेय के अलावा, आँगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका को दो बार तीन-तीन महीने की प्रसूति अनुपस्थिति, गर्भपात/गर्भस्राव के मामले में एक बार 42 दिन की अनुपस्थिति, वर्ष में 20 दिन आकस्मिक अनुपस्थिति, बैठकों आदि में भाग लेने के लिए यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति/दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि पर्यवेक्षकों के कम से कम 25 प्रतिशत पद पात्र आँगनवाड़ी कार्यकत्री में से भर्ती के लिए आरक्षित रखे जायें। वर्ष 1999 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भोजन और आवास सम्बन्धी मानकों में भी संशोधन किया गया है। सेवा-पूर्व प्रशिक्षण को पूरा करने पर उन्हें एक महीने का अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाता है।

तालिका-I

आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका को प्रदत्त मानदेय दर्शाने वाला विवरण

क. कार्यकत्री को मानदेय

अर्हता/वर्ष	1975-76	1.4.78	1.7.86	2.10.92	16.5.97
गैर-मैट्रिकुलेट	100/-	125/-	225/-	350/-	438/
मैट्रिकुलेट	150/-	175/-	275/-	400/-	500/-
5 वर्ष का अनुभव रखने वाली गैर-मैट्रिकुलेट	–	–	250/-	375/-	469/-
5 वर्ष का अनुभव रखने वाली मैट्रिकुलेट	–	–	300/-	425/-	531/-

अर्हता/वर्ष	1975-76	1.4.78	1.7.86	2.10.92	16.5.97
10 वर्ष का अनुभव रखने वाली मैट्रिकुलेट	–	–	275/-	400/-	500/-
10 वर्ष का अनुभव रखने वाली मैट्रिकुलेट	–	–	325/-	450/-	563/-
ख. सहायिका को मानदेय					
सहायिका	35/-	50/-	110/-	200/-	260/-

तालिका-II

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री/आंगनवाड़ी सहायिका को दिये जा रहे अतिरिक्त मानदेय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी कार्यकत्री (रुपये प्रतिमाह)	आंगनवाड़ी सहायिका (रुपये प्रतिमाह)
1.	गोवा	200	120
2.	गुजरात	विचाराधीन	
3.	हरियाणा	200	100
4.	हिमाचल प्रदेश	200	100
5.	जम्मू व कश्मीर	245-80	140
6.	कर्नाटक	250	75
7.	केरल	200	200
8.	महाराष्ट्र	400	125
9.	पंजाब	100	40
10.	सिक्किम	विचाराधीन	
11.	तमिलनाडु	560	260
12.	त्रिपुरा	300	250
13.	पश्चिम बंगाल	200	200
14.	चण्डीगढ़	200	140
15.	दिल्ली	विचाराधीन	
16.	लक्षद्वीप	500	200
17.	पाण्डिचेरी	690	470

Condition of Mahila Anganwadis

†*661. SHRI SWARAJ KAUSHAL: Will the Minsiter of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Mahila Anganwadis functioning in the country;

(b) the total number of employees/officers working in Mahila Anganwadis and the details of their pay and allowances;

(c) whether Government have received any representations regarding the condition of Mahila Anganwadis;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps taken by Government to improve their condition?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A total of 513072 Anganwadi Centres are presently functioning in the country.

(b) Each Anganwadi Centre is managed by an Anganwadi Worker assisted by an Anganwadi Helper. These Workers are part-time honorary workers who get monthly honorarium ranging from Rs. 438 to Rs. 563 depending upon the length of engagement and qualification for Anganwadi Workers and Rs. 260 for Anganwadi Helpers. The details are provided in the Table-I (*See* below). Some State Government/UT Administrations are also providing additional honorarium to these the Workers from their own resources. The details are provided in Table-II (*See* below). There are no employees/ officers working in the Anganwadis.

(c) and (d) The Government has been receiving representations from various organisations, individuals, Anganwadi Worker Associations and Union etc. The representations are mainly for the increase in the amount of the honorarium being paid to them, declaring them as Government Servants recruitment of Anganwadi Workers as Supervisor, additional remuneration for additional work, non-transfer of the Scheme to Private Agencies or Panchayats.

†Original notice of the question was received in Hindi.

(e) The Government has been constantly endeavouring for the betterment of the working conditions of Anganwadi Workers and Helpers. Honorarium of Anganwadi Workers and Helpers has been enhanced from time to time. The honorarium was enhanced during 1978, 1986 and 1992. In May, 1997 the honorarium of Anganwadi Workers and Helpers was further enhanced by 25% and 30% respectively and the honorarium ranges from Rs. 438/- to Rs. 563/- per month depending on the qualification and length of engagement for Anganwadi Workers and Rs. 260/- per month for Anganwadi Helpers. Apart from the honorarium, the Anganwadi Workers & Helpers are also getting two time paid absence of 3 month each on maternity, one time paid absence of 42 days in case of abortion/miscarriage, 20 days paid casual absence per year, travelling reimbursement/D.A. for attending meetings etc. State Governments/ UT Administrations have also been requested to reserve at least 25% posts of Supervisors to be recruited from eligible Anganwadi Workers. In 1999, the board and lodging norms for attending training programmes have been revised. They have also been allowed to avail one month additional honorarium for completing the pre-service training.

Table-I

Honorarium Paid to Anganwadi Workers/Helpers

A. HONORARIUM OF WORKER

Qualification/Year	***1975-76***	***1.4.78***	***1.7.86***	***2.10.92***	***16.5.97***
Non Matriculate	100/-	125/-	225/-	350/-	438/-
Matriculate	150/-	175/-	275/-	400/-	500/-
Non Matriculate with 5 yrs exp.	—	—	250/-	375/-	469/-
Matriculate with 5 yrs exp.	—	—	300/-	425/-	531/-
Non Matriculate with 10 yrs exp.	—	—	275/-	400/-	500/-
Matriculate with 10 yrs exp.	—	—	325/-	450/-	563/-

B. HONORARIUM OF HELPER

Helper	35/-	50/-	110/-	200/-	260/-

TABLE-II

Additional Honorarium being paid to Anganwadi Workers and Helpers by State Governments/UTs

Sl. No.	State/UT.	Anganwadi Worker (Rs. per month)	Anganwadi Helper (Rs. per month)
1.	Goa	200	120
2.	Gujarat	Under consideration	
3.	Haryana	200	100
4.	Himachal Pradesh	200	100
5.	Jammu & Kashmir	245—280	140
6.	Karnataka	250	75
7.	Kerala	200	200
8.	Maharashtra	400	125
9.	Punjab	100	40
10.	Sikkim	Under consideration	
11.	Tamil Nadu	560	260
12.	Tripura	300	250
13.	West Bengal	200	200
14.	Chandigarh	200	140
15.	Delhi	Under consideration	
16.	Lakshadweep	500	200
17.	Pondicherry	690	470

श्री स्वराज कौशल: सभापति महोदय, माननीया मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके स्टेटमेंट-I में इनकी संख्या 5 लाख से ऊपर है और इनको जो आनरेरियम दिया गया है, वह 500 रुपये महीना है। पांच साल के बाद आंगनवाड़ी वर्कर को 531 रुपये दिये जाते हैं अर्थात् 6 रुपये साल का इनक्रीमेंट, 10 साल बाद 563 रुपये दिये जाते हैं अर्थात् 6-30 पैसे इनक्रीमेंट। मैं माननीया मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इससे तो बस का किराया भी पूरा नहीं होता है। आपने गेहूं, चावल के दाम दुगुने कर दिये हैं, कम-से-कम इसको देखते हुए डीसेंट मिनिमम वेज के बराबर इनको आनरेरियम देने की कृपा करेंगे ताकि यह शोषण समाप्त हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): माननीय सभापति जी, आंगनवाड़ी के इन कार्यकर्ताओं को यह मानदेय दिया जाता है तो यह माना जाता है कि यह उसी गांव की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता है और यह बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी। इसके लिए उनको थोड़ा सा मानदेय दिया जाता है। मैं मानती हूं कि यह कम है लेकिन यह मानदेय के रूप में हैं। 1997 में इसमें बढ़ोत्तरी की गई थी और उसमें 20 परसेंट, 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी। आज भी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो दिया जाता है, वह केवल मानदेय के रूप में है। इसलिए इसको वेतन के समकक्ष या बढ़ती हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना चाहिये। फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकताओं को कुछ अलग इनसेंटिव के रूप में मिले, हम यह कोशिश कर रहे हैं। अलग-अलग विभाग जो उनसे काम लेते हैं, वह विभाग उनको इनसेंटिव के रूप में दें, कुछ प्रदेश की सरकारें भी उनको मानदेय के रूप में अलग से दे रही हैं, और भी राज्य सरकारें दें, हमारी यह कोशिश जारी है।

श्री स्वराज कौशल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह मानदेय के रूप में है लेकिन मानदेय के साथ इन्सान की भूख और प्यास की जरूरत खत्म नहीं होती, अगर यह होता तो पूरी सरकार में सभी सरकारी मुलाज़मों को केवल मानदेय देना चाहिये था, सेलेरी देने की जरूरत नहीं थी। माननीया मंत्री जी ने उत्तर दिया है, इसके पृष्ठ 2 पर (ई) भाग में आपने लिखा है कि 25 प्रतिशत सुपरवाइज़र्स की वेकेंसीज़ आंगनवाड़ी वर्कर्ज़ में से फिल-अप की जाती हैं। मैं माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कम-से-कम इसे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि इनकी तपस्या का फल इन्हें मिले, 25 परसेंट की बजाय सभी सुपरवाइज़र्स की सेलेक्शन केवल इन्हीं वर्कर्ज़ में से हो, क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री मनोहर जोशी: सभापति महोदय, यह सुझाव बहुत बहुमूल्य है। हम राज्य सरकारों से इस संबंध में चर्चा करते रहते हैं क्योंकि इन आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों में से सुपरवाइज़र या अन्य स्थानों पर भर्ती राज्य सरकारें करती हैं। हम यह सुझाव राज्य सरकारों को बराबर देते रहते हैं कि इनकी संख्या और बढ़ाई जाए। मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि इनकी संख्या बढ़नी चाहिये।

श्रीमती सविता शारदा: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि वैसे तो दो तरह की आंगनवाड़ियां चलती हैं, एक महिला आंगनवाड़ी चलती है और दूसरी बाल आंगनवाड़ी चलती है। महिला आंगनवाड़ी जो चलती है, जैसे अभी स्वराज जी ने पूछा है और मंत्री जी ने उनके पगार के बारे में बताया है, इन महिला आंगनवाड़ियों में काम करने वाली महिलाओं की दशा देख कर वास्तव में लगता है कि उनकी पगार थोड़ी बढ़ानी चाहिये। ये तो गरीबी की रेखा के भी नीचे जाते हैं क्योंकि 500 रुपये की पगार साल भर मिलती है, उनको अन्य वेतन भत्ते मिलते नहीं है, इसलिये उनकी स्थिति में सुधार करना बहुत जरूरी है। जो बाल आंगनवाड़ी चलती हैं, मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहती हूं कि एक हजार की बस्ती

में एक आंगनवाड़ी होनी चाहिए जबकि यह अभी तक नहीं हो पाया है। तीन-चार गांवों के बीच में एक आंगनवाड़ी होती है और महिलाएं जो हैं वे मैट्रिकुलेट भी नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे भविष्य की पौध है उसके लिए कुछ ट्रेनिंग उनको होना बहुत जरूरी है। मैं मंत्री श्री से विनय करती हूं कि ऐसी उनको कुछ ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वे आंगनवाड़ियां जो हैं अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि पहली बात तो यह है कि महिला आंगनवाड़ी और बच्चों की आंगनवाड़ी, ऐसा अलग-अलग प्रकार कुछ नहीं होता है। ये इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत चलती हैं। बच्चों के लिए ही होती हैं और वह भी जीरो से छ: साल के अंदर के बच्चे और इन छ: साल के अंदर के बच्चों की हेल्थ की समस्या की दृष्टि से या न्यूट्रीशन की दृष्टि से और एक प्रकार से प्री-एजूकेशन जिसको हम कहेंगे, ऐसी थोड़ी साइको सोशल तैयारी इन बच्चों की करना और उसी के साथ-साथ नर्सिंग मदर्स, जो प्रेगनेंट मदर्स हैं उनके लिए कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग, जैसी और कुछ न्यूट्रीशन आदि की जानकारी-इस प्रकार के कार्यक्रम आंगनवाड़ियों के तहत चलते हैं। एक और बात मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी कि इन आंगनवाड़ी कार्यकताओं को पगार आदि के रूप में कुछ नहीं दिया जाता है, पगार के रूप में या वेतन के रूप में नहीं दिया जाता है, यह मानदेय के रूप में दिया जाता है। तीसरी बात जो आपने कही-हमारे नार्म्स में भी एक हजार की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी है या ट्राइबल विभाग में, ट्राइबल जो एरियाज हैं, आदिवासी एरिया उनमें 700 की साधारण जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी के अनुपात से देते हैं और प्रदेश सरकारों से जिस प्रकार से सुझाव आते हैं उसी प्रकार हम उसको स्वीकार करते जाते हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the whole idea of giving them honorarium and not to bring them within the regular pay structure of the employees of the Government was to increase their social commitment, and involve them in social activitites and harness their energies in the localised development projects. Unfortunately, we have a tendency that when this type of a scheme starts, thereafter we try to bring it within the purview of a regular bureaucratic structure, and then bureaucratic control and administration are established. In due course, the main objective with which such a scheme is created is lost. Keeping that in view, I would like to know from the hon. Minister whether he will assure that this spirit and character of involving volunatry workers who primarily are coming forward to help the society on their own and getting necessary minimum support which is available from the States will be retained. The second point which I would like to know from the hon. Minister is this. As it has been stated that certain States have been requesting to provide some logistic support to the extent of 25 per cent

of the other cost, I would like to know what the response of the State Governments has been in this regard. If all the States have not responded to this effect, I would like to know whether the hon. Minister is going to take it up with the State Governments in future.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, we have a legacy of this scheme. This has been functioning for the last so many years. We cannot immediately suddenly change the pattern. But certainly I agree that more and more NGOs should be involved in this scheme. The scheme is, in fact, made for voluntary support to this area of the small children between zero and six. That is a good suggestion and we will take it up with the State Governments because mostly this scheme is implemented by the State Governments. I certainly welcome this suggestion.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Sir the hon. Minister has stated that the State Governments have also been requested to reserve at least 25 per cent of posts of Supervisors to be filled up from eligible Anganwadi workers. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, as to how many State Governments have responded and implemented this advice and which those States are.

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति जी, 25 परसेंट के लिए करीब-करीब सभी स्टेट्स ने...(**व्यवधान**)...

श्री सोलीपेटा रामचन्द्रा रेड्डी: करीब-करीब क्या है...(**व्यवधान**)... इसका पता नहीं है । हजारों की तादाद में हैं क्या अपनी स्टेट्स?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: 25 परसेंट के लिए सभी स्टेट्स ने किया है।

श्री सोलीपेटा रामचन्द्रा रेड्डी: पूरी स्टेट्स ने?

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने बताया है कि आंगनवाड़ियों का काम तो एक ही है और आंगनवाड़ी कार्यकत्री जो सब वहां नियुक्त हैं वे एक सा ही काम करती हैं, तो फिर मैट्रिकुलेट और गैर-मैट्रिकुलेट में जो फर्क कर रखा है उसका कारण क्या है? जब उनका काम एक-सा है तो उनको मानदेय भी एक-सा ही मिलना चाहिए। श्रीमन् मेरे प्रश्न का 'बी' पार्ट है, यह बात सही है कि वह पगार नहीं है और न ही वे सरकार के रेगुलर सर्वेंट हैं, यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन मानदेय देने का भी थोड़ा-बहुत तात्पर्य जो होता है या जो मकसद होता है, वह यही होता है कि उसका कुछ खर्चा-पानी चले, तो 1997 से ले कर अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया, यमुना में बहुत पानी बह गया और महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस

मानदेय को बढ़ाने पर विचार करेंगे? श्रीमन्, मेरे प्रश्न का 'सी' पार्ट यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम अनुरोध करते हैं, तो यह अनुरोध का क्या प्रश्न है, केवल आदेश होना चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए कि कम-से-कम 25 परसेंट तो उसमें से सुपरवाइज़र नियुक्त हों ही और उससे ज्यादा अगर बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए भी तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी इसको अनिवार्य रूप से करने के बारे में क्या विचार रखते हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, पहली बात तो यह है कि हाई स्कूल पास और गैर- हाई स्कूल पास में थोड़ा सा अंतर इसलिए रखते हैं कि वे आगे पढ़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे ये महिलाएं राज्य सरकार की सेवाओं में भी जा सकें और उनका प्रशिक्षण भी हो। इसलिए यह तो एक इंसेंटिव है, थोड़ा सा प्रोत्साहन है कि अगर वे पढ़ेंगी और अपनी योग्यता बढ़ायेंगी, तो उन्हें कुछ और अधिक मिलेगा। दूसरा यह है कि हम यह चाहते हैं कि इन्हीं बच्चियों में से आगे चल करके ग्राम विकास की योजनाओं में और अन्य योजनाओं में भी ये महिलाएं शामिल हों। इसलिए यह तो उनको एक प्रोत्साहन का सवाल है और इसलिए थोड़ा सा मानदेय में भी अंतर है। तीसरी बात यह है कि आपने जो बात उठाई है उससे हम सहमत हैं कि इनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। उस मानदेय में वृद्धि के लिए हम उन तमाम विभागों से बात-चीत कर रहे हैं जिन विभागों द्वारा इनसे काम लिया जाता है कि वे भी अपने-अपने अंश में से कुछ दें। राज्य सरकारों से भी कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ राज्य सरकारों ने बढ़ाया भी है। हम सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहे हैं और हमें यह आशा है कि वे धीरे-धीरे इस बात को मानेंगे कि इनके मानदेय में कुछ वृद्धि की जाए। जहां तक हमारा सवाल है, माननीय मंत्री जी ने एक नया इनीशिएटिव लिया है, जो प्राइम मिनिस्टर्ज़ ग्रामोदय योजना के नाम से है। उसमें न्यूट्रीशन के कंपोनेंट के लिए कुछ राशि रखी गई है जो कि लगभग 375 करोड़ रुपये हैं, क्योंकि इन महिलाओं से, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों से हम न्यूट्रीशन का काम भी लेंगे तो हमारा यह सुझाव है और हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इस न्यूट्रीशन के कंपोनैंट में से भी कुछ इनके मानदेय में वृद्धि की जाए। लेकिन कुल मिला करके यह काम राज्य सरकारों को अधिक करना है। हम बार-बार आग्रह करते हैं और अपनी तरफ से जितनी वृद्धि हो सकती है वह हम करते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मानदेय कम है, लेकिन मानदेय बढ़ाने के लिए साधन भी कम हैं। इन दोनों का तालमेल जैसे-जैसे होता जाता है वैसे-वैसे हम करते रहते हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक: सुपरवाइज़र वाला नहीं बताया?

डा. मुरली मनोहर जोशी: 25 परसेंट तो है ही।

श्री रमा शंकर कौशिक: वह तो आपका केवल अनुरोध है, जैसा कि आपने अपने उत्तर में दिया है। उसमें लिखा है कि हम अनुरोध करते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप तो राज्य सरकार के स्वयं मंत्री रहे हैं। आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार आपको डायरेक्ट नहीं कर सकती कि इतना ही करो। यह भर्ती क्योंकि राज्य सरकार को करनी है इसलिए हम तो उनसे आग्रह करते हैं और उन्होंने माना भी है। जैसा मेरी सूचना है, सभी राज्यों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। वैसे हम तो इसे और बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं और जो अनुरोध की बात है वह इस 25 परसेंट पर नहीं है।

श्रीमती कुमकुम राय: सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज़ीरो से छः वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी शिक्षा का भी कोई कार्यक्रम है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति जी, खेल-खेल में शिक्षा भी इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाती है। अब जैसा आप जानते हैं कुछ छोटी-छोटी कविताएं या बच्चों को हाथ धोने चाहिए या यह करना चाहिए या बच्चों को किस प्रकार से खाना देना चाहिए,यह माताओं को भी बताया जाता है और अगर आप विस्तृत ब्यौरा चाहती हैं तो इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए और फिर मैं आपको भेज दूंगी कि आंगनवाड़ी में और क्या-क्या किया जाता है।

MISS MABEL REBELLO: Under ICDS, 10% of the projects are given to the NGOs. While in the Government-run projects, the staff is paid according to the 5th Pay Commission, the staff in the NGO-run projects is denied that benefit. I wold like to know the reason for discrimination in the payment of salary. Why is there discrimination in salary? For the Anganwadi workers in the Government-run projects, you pay Rs. 500/-, whereas in the NGO-run projects that are allotted by the State Government, you pay Rs. 300/- only. I would like to ask : Why is this discrimination?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति जी, एक तो एन.जी.ओज. को देने की कोशिश कुछ ही राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में परीक्षण के तौर पर की गई है, सभी राज्यों में यह नहीं हुई है। दूसरे एन.जी.ओज. को भी यह स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है और उन पर निगरानी रखना कि वह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारे यहां से उन को मानक दिए जाते हैं कि इस प्रकार से करना है। बाद में वह क्या करेंगे, यह निरीक्षण और उस प्रकार से कार्य करवाना यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है।

Expenditure on Eradication on Malaria

*662. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what policy the Ministry of Health and Family Welfare has adopted to eradicate Malaria from the country, whether there is any specific plan for North-Eastern Region's malaria prone zone; and